वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ अवधारण याचिका का संक्षिप्त हिन्दी संस्करण

01. पृष्ठ भूमि

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 सपठित धारा 133 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कर्तव्य, सम्पति एवं दायित्वों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियो अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिग कंपनी मर्यादित को अंतरित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अन्तरण योजना नियम 2008 लागू किया गया जिसे कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 द्वारा अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित किया गया है।

उक्त अंतरण योजना जो कि 01 जनवरी 2009 से प्रभावशील है, के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी है जिसके आपूर्ति क्षेत्र में स्थित विद्युत उपभोक्ताओं की आपूर्ति हेतु विद्युत दरों का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 तथा उसके अन्तर्गत प्रभावषील नियमों एवं विनियमो के अनुसार किया जाता है।

2. छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेष दिनांक 30.04.2016 में अधिसूचित उपभोक्ता दरें जो कि दिनांक 01.04.2016 से प्रभावषील है, वर्तमान में लागू हैं।

3. विद्युत अधिनियम 2003 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को प्रति वर्ष अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता का आकंलन कर आयोग के समस्त टैरिफ अवधारण याचिका प्रस्तुत करना प्रावधानित है। तदानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62, 64 एवं 86(1) (a) में निहित प्रावधानों एवं राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये ''बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण हेतु शर्त एवं निबन्धन'' विनियम 2015 में विहित विभिन्न प्रावधानो के अनुसार वर्ष 2015–16 हेतु प्रोविजनल ट्रू अप याचिका, FY 17 के लिये पुनरीक्षित कुल राजस्व आवषयकता एवं FY 17 की कुल राजस्व आवष्यकता की वसूली हेतु टैरिफ का निर्धारण संबंधी याचिका माननीय राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकर्ता ने कार्यालयीन दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध जानकारी के आधार पर माननीय आयोग के विनियम के अनुपालन एवं दायित्वों के निर्वहन में अपनी श्रेष्ट

क्षमताओ तथा उपलब्ध संसाधनो से निष्कपट चेष्ठा की है। तथापि यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी निर्धारण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होती है, तो ऐसी स्थिति के याचिकाकर्ता को यह अतिरिक्त जानकारी दायर करने एवं तदानुसार याचिका संशोधित/पुनरीक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखने की अनुमति प्रदान करे।

विशेष टीप : (प्रस्तावित याचिका का हिन्दी रूपातरण हितधारको की सुलभता के लिये किया गया है, किसी भी विषय विशेष के भावार्थ तथा आकड़ों की सत्यता पर भ्रम की स्थिति में मूल अंग्रेजी याचिका मान्य होगी)

1. वर्ष 2015–16 के लिये प्रोविजनल ट्रू–अप का विवरण

(i) <u>वितरण हानि</u>

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी वितरण हानि को कम करने हेतु गंभीर एवं समर्पित है। जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओ के भार वृद्धि एवं विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के उपरांत भी वितरण हानि में उत्तोरत्तर कमी हो रही है।

वर्ष	**2015–16**
माननीय नियामक आयोग द्वारा वितरण हानि हेतु निर्धारित लक्ष्य	27%
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्राप्त वितरण हानि	23.41%

(ii) वर्ष 2015–16 के लिये विद्युत की उपलब्धता एवं क्रय लागत का विवरण :–

स. क्र.	विवरण	FY-16(23.05.15 के टैरिफ आदेष के अनुसार)			FY-16 (वास्तविक)		
	विद्युत उत्पादन संयंत्र का विवरण	मात्रा (मिलियन यूनिट में)	राषि (करोड़ में)	दर (पैसे प्रति यूनिट में)	मात्रा (मिलियन यूनिट में)	राषि (करोड़ में)	दर (पैसे प्रति यूनिट में)
(A)	**केन्द्रीय विद्युत संयंत्रो से**	7821.24	2168.47	277.00	7581.73	2218.94	292.67
1	एन.टी.पी.सी.	6854.79	1822.32	265.85	6748.71	1908.45	282.79
2	एन.टी.पी.सी.सेल	364.26	163.55	449.00	222.16	104.88	472.08
3	एन.पी.सी. मर्यादित	585.55	180.94	309.00	366.86	107.74	293.69
4	अन्य	16.64	1.66	100.00	244.00	97.88	401.14

(B)	**राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के संयंत्रों से**	**18587.34**	**4560.38**	**245.00**	**14272.89**	**3954.93**	**277.09**
1	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी	18250.23	4479.90	245.47	13951.15	3873.67	277.66
2	छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (नवीकरणीय)	337.11	80.48	238.74	321.73	81.26	252.57
(C)	एक्सचेंज /ट्रेडर्स				391.37	147.17	376.03
(D)	केप्टिव/स्वतंत्र विद्युत ईकायो से				138.85	41.55	299.23
(E)	रियायती पॉवर छत्तीसगढ राज्य पॉवर ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से	494.94	95.52	193.00	772.99	161.84	209.38
(F)	नवीकरणीय अन्य	1000.54	738.78	738.00	813.22	496.00	609.91
(G)	**पारेषण प्रभार**		1155.94			1017.19	
1	अंर्तराज्यीय पारेषण लागत		306.05			224.13	
2	अंतः राज्यीय पारेषण लागत		834.92			701.05	
3	पष्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र की लागत					29.26	
4	राज्य भार प्रेषण केन्द्र का लागत		14.97			10.52	
5	ओपीटीसीएल प्रभार					0.41	
6	डीएसएम प्रभार					2.51	
7	एनवीवीएन पारेषण प्रभार					28.86	
8	ट्रेडिंग प्रभार					20.45	

(H)	अनियत आदान प्रदान				227.49	90.82	399.24
(I)	बैंकिंग वास्तविक				1909.86	0.00	0.00
(J)	सकल विद्युत क्रय लागत	27904.06	8719.09	312.47	26108.39	8128.44	311.33
(K)	समायोजन (घटाये)				1303.28	584.89	448.78
1	छूट					4.01	
2	उत्पादन आधारित प्रेरणा के दावे के रूप में राषि					48.56	
3	विलम्ब अदायगी अधिभार					87.36	
4	आधिक्य बिजली के विक्रय से प्राप्त राषि	2231.76	781.12	350.00	1303.28	529.78	406.49
5	जिंदल पॉवर को क्रास सब्सिडी सरचार्ज के उल्टाव की राषि					(84.82)	
(L)	शुद्ध विद्युत क्रय लागत	25672.30	7937.97	309.21	24805.11	7543.55	304.11

माननीय आयोग से उपरोक्त पॉवर क्रय की लागत के अनुमोदन की प्रार्थना है।

(iii) प्रोविजनल खाते के अनुसार ट्रूअप किये जाने पर वर्ष 2015–16 हेतु वाषिक राजस्व आवश्यकता का विवरण :–

क्र.	विवरण	द्वितीय एमवाईटी कंट्रोल पिरियड वित्तीय वर्ष 2015–16	
		टैरिफ आदेश दि.12.07.13 के अनुसार	प्रोविजनल खाते के अनुसार
A	विद्युत क्रय लागत	7178.77	7543.55
1	पॉवर क्रय मूल्य जिसमें यूआई, द्विपक्षीय, डीपीएस, जीबीआई सहित पारेषण एवं भार प्रेषण प्रभार सम्मिलित	6029.90	6526.36
2	अंर्तराज्यीय पारेषण लागत (पीजीसीआईएल)	298.98	224.13
3	अन्तःराज्यीय पारेषण लागत	834.92	701.05
4	पष्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	-	29.26
5	राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	14.97	10.52
6	अन्य प्रभार(ओपीटीसीएल, डीएसएम,स्लैव्य आदि		53.23
(B)	संचारण एवं संधारण व्यय	1149.34	1227.90
1	वास्तविक कर्मचारी लागत	971.47	635.11
2	वास्तविक प्रषासनिक एवं सामान्य व्यय		140.31
3	वास्तविक मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय		145.01
4	निवृत्ति वेतन	217.87	217.87
5	अंतरिम राहत	-	89.60
(C)	अभिरूचि एवं वित्तीय व्यय	161.89	205.24
1	ऋण पर ब्याज	50.98	114.07
2	उपभोक्ता प्रतिभूति निवेष पर ब्याज	110.91	91.17
3	कियाशील पुंजी पर ब्याज	-	-
(D)	अन्य व्यय	340.92	372.79
1	अवमूल्यन	92.06	150.73
2	युक्तिसंगत लाभ (अंष पूंजी पर लाभ)	164.78	221.83
3	आयकर	-	-
4	डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण	84.08	0.13
5	अन्य जमा/पूर्व अवधि का व्यय		0.09
(E)	दक्षता पर प्राप्ति /(हानि)		92.28
1	संचा/संधा व्यय की दक्षता से प्राप्ति /(हानि)		(32.77)

2	वितरण हानि में कमी के कारण हुई वृद्धि में अनुज्ञप्तिधारक का हिस्सा		125.05
(F)	गैर राजस्व आय– घटायें	422.63	204.31
1	गैर राजस्व आय	246.57	139.22
2	उपभोक्ता प्रतिभूति पर आय	51.06	-
3	लघु सावधि ओपन एक्सेस	125.00	65.09
(G)	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	8408.29	9237.45

माननीय आयोग से उपरोक्त राजस्व आवष्यकता को स्वीकृत करने की प्रार्थना है।

(iv) वर्ष 2015–16 के लिये स्टेण्ड एलोन अधिषेष/(कमी) का विवरण नीचे तालिका में दर्षाया गया है :–

क्र.	विवरण	23 मई–2015 के टैरिफ आदेष के अनुसार	वर्ष –2016–17
1	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	9171.00	9237.45
2	वर्तमान टैरिफ से अनुमानित राजस्व	8366.00	8887.04
3	अनुमानित (कमी)/अधिषेष	(806.00)	(350.41)

राज्य शासन से प्राप्त 407.25 करोड की सब्सिडी के आधार पर वर्ष 2015–16 का राजस्व अंतर 60.68 करोड आंकलित है। जिसमें वर्ष के अन्त में राजस्व राषि पर 13.50 प्रतिषत कैरिंग कॉस्ट(Carrying Cost) सम्मिलित है। माननीय आयोग से राजस्व अंतर की राषि के अनुमोदन का अनुरोध है।

2. वर्ष 2017–18 हेतु पुनरीक्षित राजस्व आवष्यकता के महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

अनुमानित विद्युत विक्रय, अनुबंधित भार एवं उपभोक्ताओं की संख्या का विवरण

क्र.	श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या	अनुबंधित भार (मेगावाट में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)
	निम्न दाब	5240881	5838.03	12404.14
1	बी.पी.एल. के साथ घरेलू	4301196	2790.31	5526.48
2	गैर घरेलू (सामान्य टैरिफ)	319940	793.68	954.81
3	गैर घरेलू (मांग आधारित टैरिफ)	845	25.18	27.76
4	कृषि (मीटरीकृत)	429727	1180.89	4284.05
5	कृषि संबद्ध उपयोग	2476	15.41	19.37
6	निम्न दाब औद्योगिक	35034	615.18	571.81
7	सार्वजनिक उपयोगिता	26495	109.67	347.82
8	अस्थायी कनेक्सन	125170	307.71	672.03
उच्च दाब उपभोक्ता		2911	2913.50	9426.64
1	रेल्वे कर्षण	21	339.80	1070.61
2	खदान	115	156.34	561.20
3	अन्य उद्योग एवं सामान्य प्रयोजन गैर औद्योगिक	2090	1337.73	3358.04
4	स्टील उद्योग	340	874.43	3990.85
5	लो–लोड फैक्टर	121	51.05	84.32
6	सिंचाई एवं कृषि एलाईड सहित सार्वजनिक जल प्रदाय	144	49.46	120.61
7	घरेलू	54	48.95	190.76

8	स्टार्ट अप टैरिफ	20	54.04	43.14
9	निर्माण संबंधित उद्योग	01	0.50	1.50
8	अस्थायी कनेक्सन	5	1.20	5.52
(C)	योग (उच्च दाब)	**5243792**	**8751.53**	**21830.68**

(ii) वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु पुनरीक्षित कुल राजस्व आवश्यकता :–

क्र.	विवरण	तृतीय एमवाईटी कन्ट्रोल पिरियड वित्तीय वर्ष 2017–18	
		टैरिफ आदेष दिनांक 30.04. 2016 के अनुसार	वर्ष 2015–16 के ट्रू अप पर आधारित वार्षिक प्रदर्षन की समीक्षा के अनुसार
A	**विद्युत क्रय व्यय**	8773.14	9922.74
1	विद्युत क्रय लागत (सकल द्विपक्षीय विक्रय, पारेषण एवं एसएलडीसी प्रभार एवं ट्रेडिंग इंकम	7501.07	8572.02
2	अर्तराज्यीय पारेषण लागत (पीजीसीआईएल)	341.63	420.28
3	अन्तः राज्यीय पारेषण लागत(अन्य प्रभार	916.80	916.80
5	राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	13.64	13.64
B	**संचालन एवं संधारण व्यय**	1482.61	1482.61
1	कर्मचारी लागत	818.72	818.72
2	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	144.69	144.69
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	134.47	134.47
4	निवृत्ति वेतन	325.83	325.83
5	अन्तरिम राहत	58.90	58.90
C	**ब्याज एवं वित्तीय व्यय**	294.96	294.96
1	ऋण पर ब्याज	195.75	195.75
2	उपभोक्ता प्रतिभूति निवेष पर ब्याज	99.21	99.21
3	कियाशील पुंजी पर ब्याज	-	-

D	**अन्य व्यय**	380.02	380.02
1	अवमूल्यन	154.69	154.69
2	युक्तिसंगत लाभ (अंष पूंजी पर लाभ)	225.33	225.33
E	**घटायें गैर टैरिफ आय**	402.12	402.12
1	गैर टैरिफ आय	277.21	277.21
2	उपभोक्ता प्रतिभूति पर आय	47.01	47.01
3	व्हीलिंग चार्जेस ओपन एक्सेस एवं क्रास सब्सिडी चार्जेस	77.90	77.90
F	**वार्षिक राजस्व आवष्यकता**	10528.60	11678.21

(iii) प्रचलित विद्युत दरों से अनुमानित राजस्व की स्थिति वित्तीय वर्ष 2017—18 हेतु निम्नानुसार है :—

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2017—18 (रूपये करोड़ में)
1	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	11678.21
2	वर्तमान टैरिफ से अनुमानित राजस्व	12949.14
3	कुल (कमी)/अधिषेष	1270.94
4	प्रारंभिक आधिक्य/(कमी)	(741.04)
5	सीएसपीजीसील, सीएसपीटीसीएल, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के आधिक्य/(कमी)	(445.54)
6	अन्त आधिक्य /(कमी)	78.56
7	ब्याज की दर	12.80
8	याचिका क्र.35/2014 के आदेष दिनांक 08.12.2014 के पैरा—16 में दर्षायी त्रुटि के अनुसार	(5.79)
9	कैरिंग कास्ट	(21.20)
10	वर्ष की कुल अन्त आधिक्य/(कमी)	57.36

तदानुसार वित्तीय वर्ष 2017 के लिये उपरोक्तानुसार राजस्व के अन्तर पर अनुमोदन की प्रार्थना है।

प्रार्थना

1. माननीय विद्युत नियामक आयोग से निवेदन है कि छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को राज्य शासन से प्राप्त होने वाली सब्सिडी यदि कोई हो तो, एवं माननीय विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेष के अनुपालन से राजस्व आवष्यकता में अनुमानित परिवर्तन को समाहित करने के पष्चात वर्ष 2017–18 की कुल राजस्व आवष्यकता मान्य की जावे।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये आंकलित 57.36 करोड़ की अधिकता सहित वर्ष 2017–18 में कंपनी द्वारा राज्य षासन के बजट में प्रस्तावित 200.00 करोड की राषि के अनुमान के साथ निम्नानुसार उपभोक्ता की विद्युत दरें के निर्धारण की प्रार्थना है।

   (i) घरेलू, कृषि एवं उद्योग को सम्मिलित करते हुये निम्नदाब पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले सभी संवर्ग की उपभोक्ता दरें यथावत् रखी जावें।

   (ii) खदान एवं रेलवे को छोड़कर उच्चदाब पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता संवर्ग की दरें यथावत् रखी जावें

   (iii) एचवी–3 एवं एचवी–4 उपभोक्ता श्रेणी में लोड फैक्टर आधारित विद्युत दरें लागू की जावें एवं निम्न लोड फैक्टर उद्योगों के लिये लागू टैरिफ श्रेणी एचवी–5 को समाप्त किया जावे।

   (iv) एचवी–4 श्रेणी को पॉवर तीक्ष्ण मानते हुये विद्युत की खपत में वृद्धि के आषय से प्रेरणा के रूप में 60–70 प्रतिषत एवं उससे अधिक मासिक लोड फैक्टर पर विद्युत के उपयोग के लिये चरणों में न्यूनतम 1 प्रतिषत से अधिकतम 15 प्रतिषत की छूट एवं आफ पीक भार अवधि में संविदा मांग के असाधारण उपयोग पर लागू अतिरिक्त प्रभार में छूट लागू की जावे।

याचिका कर्ता

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)
छ.रा.वि.वि.कं.मर्यादित
चतुर्थ तल, विद्युत सेवा भवन
डंगनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी)

CSPDCL

वर्ष 2015–16 हेतु प्रोविजनल ट्रू अप ; वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये पुनरीक्षित कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं से वसूली हेतु टैरिफ का निर्धारण संबंधी याचिका

रू.50 / –